कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

शैक्षिक सत्र : 2020–21 के लिए राज्य के समस्त राजकीय / गैर राजकीय विद्यालयों में दिनांक : 22.04.2021 से 06.06.2021 तक एतद् द्वारा ग्रीष्मावकाश घोषित किया जाता है। उक्त अवधि हेतु समस्त शिक्षकों को निम्नानुसार निर्देश दिए जाते है :–

1 कोविड ड्यूटी हेतु वर्तमान में दायित्वबद्ध शिक्षक सक्षम अधिकारी जिला कलक्टर / एसडीएम की अनुमति उपरान्त ही ग्रीष्मावकाश का उपभोग कर सकेंगे।

2 ग्रीष्मावकाश अवधि में समस्त शिक्षक अलर्ट मोड में रहेंगे। आपातकालीन परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा कृर्त्तव्यबद्ध किए जाने की स्थिति में सम्बन्धित शिक्षक को प्रदत्त निर्देशों की पालना करनी होगी।

3 ग्रीष्मावकाश अवधि में कोरोना सम्बन्धी ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को राजस्थान सेवा नियम– 92(बी) के तहत सम्बन्धित सक्षम अधिकारी जिला कलक्टर / एसडीएम के सत्यापन पर नियमानुसार उपार्जित अवकाश का लाभ देय होगा।

4 सभी संस्थाप्रधानों को विभाग द्वारा जारी होने वाले आगामी दिशानिर्देशों के अनुरूप विद्यालय सम्बन्धी कार्य हेतु (शैक्षिक / प्रवेश / परीक्षा / इत्यादि) अपने स्टाफ को कोविड–19 की गाईड लाईन की पालना करते हुए बुलाने के लिए अधिकृत किया जाता है। ऐसे शिक्षकों को भी राजस्थान सेवा नियम– 92(बी) के तहत ग्रीष्मावकाश अवधि में कार्य करने पर नियमानुसार उपार्जित अवकाश का लाभ देय होगा।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / मा–स / 22418 / 2020–21 दिनांक : 21.04.2021

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 निजी सचिव,शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव,राज., जयपुर।
3 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) राजस्थान,बीकानेर।
4 निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
5 समस्त जिला कलक्टर गण।
6 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर / अजमेर।
7 प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
8 प्रधानाचार्य, राजकीय शा.शि. महाविद्यालय, जोधपुर।
9 समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
10 समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
11 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक ।
12 समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
13 समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी / संस्था प्रधान।
14 स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
15 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
16 रक्षित पत्रावली

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर